10/1/23 पत्रावली पेश हुई। [illegible] अभिभाषक संघ आज [illegible] न करें रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 17/3/23 को पेश हो।

17/3/23

पत्रावली पेश हुई। अभिभाषक संघ आज अदालती [illegible] का [illegible] न करें रखा है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 18/5/2023 को पेश हो।

18/5/23

पत्रावली पेश हुई। मंत्रालयिक कर्मचारी सामूहिक अवकाश पर होने के कारण पत्रावली में आगामी पेशी दिनांक 13/7/23 नियत की जाती है।

13/7/23 वकील वादी उपस्थित। तहसीलदार नीमकाथाना से रिपोर्ट अप्राप्त। पुनः स्मरण पत्र जारी हो। पत्रावली दिनांक 25/7/23 को पेश हो।

25/7/23 पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित I.P.O. साहब [illegible] पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 31/7/23 को पेश हो। तहसीलदार नीमकाथाना से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश हुई। शामिल मिसल किया गया।

31/7 पत्रावली पेश हुई। [illegible] उपस्थित I.P.O. अन्य कार्यों में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 4/9/23 को पेश हो।

4/9/2023 पत्रावली पेश हुई। वकील वादीगण उपस्थित। बहस वकील वादीगण सुनी गयी। वास्ते निर्णय पत्रावली दिनांक 18/9/2023 को पेश हो।

वाद संख्या 150/2019
नन्दलाल वगै0 बनाम तहसीलदार

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि भूमि ख0न0 914, 915 पुराना के नये ख.न. 895, 894 ग्राम बल्लभदासपुरा का वादी 1/5 हिस्से का खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादीगण की जाति रावल के स्थान पर नायक सहवन से गलत दर्ज कर दी गई। जबकि सभी सरकारी प्रमाण पत्रों में वादी एवं उसके भाईयों की जाति रावल दर्ज है। जमाबंदी सम्वत 2075 से 2078 तैयार करते समय स्व. प्रहलाद किशन को दो अलग अलग व्यक्ति मानते हुये हिस्सा 1/6, 1/6 दर्ज कर दिया जिससे अन्य खातेदारान का भी हिस्सा 1/5 के स्थान पर 1/6 गलत दर्ज हो गया जो दुरुस्त किये जाने योग्य है। जाति प्रमाण पत्र पेश किये है जिनमें वादीगण की जाति रावल दर्ज है। न्यायालय हाजा द्वारा वाद संख्या 144/1976 निर्णय दिनांक 30.06.83 बोदूराम बनाम सजना वगै0 में भी हमारी जाति रावल मानते हुये वादी का दावा खारीज किया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा भी सवाई सिंह रावल पुत्र भवर लाल रावल के नाम पटटा जारी किया है। आधार कार्ड, राशन कार्ड पेश किये है उनमें भी जाति रावल ही दर्ज है। तहसीलदार जी ने भी तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश कि है जिससे भी मेरा दावा साबित होता है। अतः दावा स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जावें एवं प्रहलाद किशन को एक व्यक्ति मानते हुये। सभी खातेदारान का 1/5, 1/5 हिस्सा दुरुस्त किया जावें एवं उक्त समस्त की जाति नायक के स्थान पर रावल दुरुस्त की जावें।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड दस्तावेज एवं रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना दिनांक 12.02.2020 एवं 19.07.2023 का अवलोकन किया गया जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त आराजी मिसल बन्दोबस्त (जमाबन्दी) तन ग्राम गावडी सम्वत 2008– 2027 के खाता संख्या 545 वादीगण के पिता की जाति राणा दर्ज है। वादीगण के पूर्वजो की जाति उक्त भूमि के रिकार्ड में कभी भी रावल दर्ज रही हो ऐसा कोई रिकार्ड वादीगण द्वारा प्रस्तुत नही किया गया है। अतः जाति दुरुस्ती की हद तक दावा वादीगण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नही होता है।

जहां तक वादग्रस्त भूमि में हिस्सा दुरुस्ती का प्रश्न है। मुताबिक रिपोर्ट प्रहलाद किशन को दो अलग अलग युनिट मानते हुये सहवन से हिस्सा 1/5 के स्थान पर 1/6 हिस्सा दर्ज हुआ है। प्रहलाद–किशन एक ही व्यक्ति है। जिसे एक ही युनिट मानते हुये सभी खातेदारान का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/5 दुरुस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

इस प्रकार प्रस्तुत रिकार्ड, दस्तावेजात, रिपोर्ट तहसीलदार नीमकाथाना के आधार पर दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया [illegible] है।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:50:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

आदेश

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दावा वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बल्लभदासपुरा पटवार हल्का गावडी के खाता संख्या 88 ख.न. 894, 895 में दर्ज खातेदारान का [illegible] को एक युनिट मानते हुये सभी खातेदारान का हिस्सा 1/6 के स्थान पर 1/5 हिस्सा दुरुस्त किये जाने व आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। जाति दुरुस्ती की हद तक दावा वादीगण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल [illegible] बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया।

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)

डिकरी व मुकदमे इब्तदाई
(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाप्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix 'D'-1)

अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना
इजलास राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

नन्दलाल वगै0 बनाम तहसीलदार

–वादीगण– –प्रतिवादी–

दावा बाबत रिकार्ड दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

मुकदमा न. 150 सन् 2019

ह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू राजवीर सिंह यादव (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना व हाजरी श्री विष्णुदत्त शर्मा एडवोकेट वादीगण मिनजानिब –मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादीगण आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा ग्राम बल्लभदासपुरा पटवार हल्का गावडी के खाता संख्या 88 ख.न. 894, 895 में दर्ज खातेदारान लादकिशन को एक युनिट मानते हुये सभी खातेदारान का हिस्सा 1/6 के स्थान पर हिस्सा दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। शेष इन्द्राज बदस्तुर रहे। जाति की हद तक दावा वादीगण खारीज किया जाता है। तद्वानुसार राजस्व रिकार्ड में दरामद हो।

× .... मुबलिग .... × .... बाबत .... × ....

इस मुकददमें के मय सूद बशरह .... × .... फीसदी सलाना

की तारीख से तारीख वसूलयाबी तक .... × .... को अदा करें।

मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 09 सन् 2023 को जारी की

राजवीर सिंह यादव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)
उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना

	रूपया	पै.	मुददायलाह	रूपया	पै.
अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
वजह सबूत			महनताना वकील पर		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
गवाहान			फीस कमिश्नर		
कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्मनामा		
इजराय हुक्मनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक			मीजान		
मीजान					

– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया हो या नहीं दर्ज करना चाहिए ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2024.11.30 13:50:32 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner